"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर 2015—आश्विन 10, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमन ताम्रकार आत्मज श्री अरूण ताम्रकार, जाति ताम्रकार, उम्र 21 वर्ष, निवासी-साकिन पेण्ड्रा, तहसील पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि राशि दोष के कारण मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रीहान ताम्रकार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रीहान ताम्रकार आत्मज श्री अरूण ताम्रकार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अमन ताम्रकार आत्मज-श्री अरूण ताम्रकार निवासी-साकिन जैन मोहल्ला पेण्ड्रा तहसील पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर (छ. ग.)	रीहान ताम्रकार आत्मज-श्री अरूण ताम्रकार निवासी-साकिन जैन मोहल्ला पेण्ड्रा तहसील पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुर्गेश कश्यप आत्मजा श्री लक्ष्मी कश्यप, उम्र 22 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 33, चंडी मंदिर, शिवपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा नाम दुर्गेश कश्यप है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. मै अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दिव्या कश्यप रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे दिव्या कश्यप आत्मजा श्री लक्ष्मी कश्यप के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दुर्गेश कश्यप
आत्मजा श्री लक्ष्मी कश्यप
निवासी-वार्ड नं. 33, चंडी मंदिर के पास
शिवपारा दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दिव्या कश्यप
आत्मजा श्री लक्ष्मी कश्यप
निवासी-वार्ड नं. 33, चंडी मंदिर के पास
शिवपारा दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चैतूराम नरेटी पिता श्री लखमूराम नरेटी, जाति मुरिया, उम्र 36 वर्ष, निवासी-ग्राम कोरमेल तहसील व जिला कोण्डागांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने सरनेम 'नरेटी' को परिवर्तित कर नया नाम चैतूराम नाग रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे चैतूराम नाग पिता श्री लखमूराम नाग के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

चैतूराम नरेटी
पिता-श्री लखमूराम नरेटी
निवासी-ग्राम कोरमेल, पोस्ट मटवाल
तहसील व जिला कोण्डागांव (छ. ग.)

नया नाम

चैतूराम नाग
पिता-श्री लखमूराम नाग
निवासी-ग्राम कोरमेल, पोस्ट मटवाल
तहसील व जिला कोण्डागांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, टिन्कू प्रसाद सिंह आत्मज श्री अशोक कुमार सिंह, निवासी-सड़क नं. 2, क्वा. नम्बर 9/बी, नंदिनी नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम टिन्कू प्रसाद आत्मज श्री अशोक कुमार सिंह था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम टिन्कू प्रसाद सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे टिन्कू प्रसाद सिंह आत्मज श्री अशोक कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
टिन्कू प्रसाद (Tinku Prasad) आत्मज-श्री अशोक कुमार सिंह निवासी-सड़क नम्बर 2, क्वा. नं. 9/बी, नंदिनी नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	टिन्कू प्रसाद सिंह (Tinku Prasad Singh) आत्मज-श्री अशोक कुमार सिंह निवासी-सड़क नम्बर 2, क्वा. नं. 9/बी, नंदिनी नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगेन्द्र कुमार वर्मा पिता स्व. गणेश राम वर्मा, आयु 48 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 32/ई, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम योगेन्द्र कुमार पिता गणेश राम दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम वर्मा जोड़कर नया नाम योगेन्द्र कुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे योगेन्द्र कुमार वर्मा पिता स्व. गणेश राम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
योगेन्द्र कुमार पिता-स्व. गणेश राम निवासी-क्वा नं. 32/ई, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	योगेन्द्र कुमार वर्मा पिता-स्व. गणेश राम वर्मा निवासी-क्वा नं. 32/ई, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डाकेश्वर परगनिहा पिता श्री लोकनाथ परगनिहा, आयु 44 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 4 सी, बी पाकेट, मरौदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के समस्त रिकार्ड में मेरा नाम डाकेश्वर दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम परगनिहा जोड़कर नया नाम डाकेश्वर परगनिहा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे डाकेश्वर परगनिहा पिता श्री लोकनाथ परगनिहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
डाकेश्वर पिता-श्री लोकनाथ परगनिहा निवासी-क्वा. नं. 4 सी, बी पाकेट, मरौदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	डाकेश्वर परगनिहा पिता-श्री लोकनाथ परगनिहा निवासी-क्वा. नं. 4 सी, बी पाकेट, मरौदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015

प्र. क्र./ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/480/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री विजय बघेल आत्मज स्व. श्री नम्मूलाल बघेल, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज रायपुर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन निर्माण एवं विकास ट्रस्ट (SVP Trust Raipur) पता बैस कुर्मी क्षत्रिय समाज छात्रावास भवन सुन्दर नगर गेट के पास रायपुरा रोड डंगनिया रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन निर्माण एवं विकास ट्रस्ट (SVP Trust Raipur) पता बैस कुर्मी क्षत्रिय समाज छात्रावास भवन सुन्दर नगर गेट के पास रायपुरा रोड डंगनिया रायपुर तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 06-10-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 22-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक /परि./2015/2955 .—महामाया बहुद्देशीय मर्या. लिटिया, पं. क्र. 212, दिनांक 02-03-2005 विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् महामाया बहुद्देशीय मर्या. लिटिया, पं. क्र. 212, दिनांक 03-01-2007 विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. आर. भगत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक /परि./2015/2956 .—आदर्श खारंग मछुआ सहकारी समिति मर्या. जाली, पं. क्र. 3728, विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2485 दिनांक 03-09-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् आदर्श खारंग मछुआ सहकारी समिति मर्या. जाली, पं. क्र. 3728, विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. आर. भगत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक /परि./2015/2957.—नवजागरण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. नया सरकंडा, बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 3399, दिनांक 30-08-1991, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/1832 दिनांक 04-07-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् नवजागरण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. नया सरकंडा, बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 3399, दिनांक 30-08-1991, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्रमांक /परि./2015/3002 .—शंतनु मछुआ सहकारी समिति मर्या. सेमरताल, पं. क्र. 3563, दिनांक 24-12-1994 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2485 दिनांक 03-09-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् शंतनु मछुआ सहकारी समिति मर्या. सेमरताल, पं. क्र. 3563, दिनांक 24-12-1994 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा कु. पुजा बोथरा, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.